तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/2/21	सह. जैरे. उप.) वकील अभियोजन उप.) वकील अभियोजन ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, नकल हेतु प्रति वकील सह. जैरे. को दिलाई जावे। पश्चात बाबते जवाब प्रार्थना आज्ञप्ति दिनांक 11/3/21 को पेश हो।
15/2	वकील अभियोजन उप.) जवाब प्रार्थना का नकल चाहते हैं। दिया जाय हैं। पत्रावली दिनांक 8/3/21 को पेश हो।
8/3/21	पत्रावली पेश हुई। ... S.D.O. साहब दौरे पर, विषय कार्य में व्यस्त, वकीलों द्वारा कोई कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आगामी दिनांक 15/3/21 को पेश हो।
15/3/21	वकील अभियोजन उप.) जवाब प्रार्थना का नकल चाहते हैं। दिया जाय हैं। पत्रावली दिनांक 22/3/21 को पेश हो।
22/3/21	वकील अभियोजन सह. जैरे. उप.) जवाब प्रार्थना पर बहसी गई। पश्चात गवाह बुलाने आदेश दिनांक 31/3/21 को पेश हो।
31/3/21	सरकारी जैरे. उप.) वकील अभियोजन उप.) पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 107 जाब्ता फौजदारी का मूल गवाह। प्रार्थना [illegible] है बुलाई है। मूल गवाह [illegible] हो जाने से अन्य गवाह के कोई कार्यवाही [illegible] प्रभावित होने से प्रार्थी [illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। गवाह तामील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा। अम्बार लगा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishr
Date: 2022.01.24 11:40:24 IST
Reason: SelfAttested